रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 1999/आश्विन 1, 1921

No. 580] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 1999/ASVINA 1, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1999

का. आ. 780 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (चाहे वे प्रशासक, उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं अथवा मुख्य आयुक्त के नाम से) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक छोटे तथा आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्ब से किए गए भुगतानों पर ब्याज अधिनियम, 1993 (1993 का 32) के तहत अपने क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उसके कार्यों का भी निर्वहन करेंगे ।

[फा० सं० यू०-11030/2/99-यू०टी०एल०]

पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 1999

S.O. 780 (E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the administrator of every Union territory (whether known as the Administrator, the Lieutenant Governor or the Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of State Government under the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings Act, 1993 (32 of 1993) within his territorial jurisdiction.

[F. No. U-11030/2/99-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.